



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09102025-266800
CG-DL-E-09102025-266800

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 658]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 8, 2025/आश्विन 16, 1947

No. 658]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 8, 2025/ASVINA 16, 1947

दूरसंचार मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर, 2025

सा.का.नि.742(अ).— दूरसंचार (कैप्टिव दूरसंचार सेवाओं के लिए प्राधिकरण) नियम, 2025 का मसौदा, जिसे केन्द्रीय सरकार, दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) की धारा 56 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार भारत सरकार के संचार मंत्रालय की अधिसूचना संख्याक सा.का.नि. 614(अ), तारीख 10 सितंबर, 2025 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, जिसमें इससे प्रभावित होने की संभावना वाले व्यक्तियों से, उक्त अधिसूचना अंतर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने से पूर्व, आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त मसौदा नियम तारीख 12 सितंबर, 2025 को जनसाधारण को उपलब्ध करा दिए गए थे;

और उक्त मसौदा नियमों पर टिप्पणियां भेजने की समय-सीमा बढ़ाने के लिए हितधारकों से प्राप्त अनुरोधों और उक्त नियमों के व्यापक निहितार्थों पर विचार करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा मसौदा नियमों पर आपत्तियां या सुझाव भेजने की समय-सीमा 21 अक्टूबर, 2025 तक बढ़ाती है।

[फा.सं. 24-08/2025-यूबीबी]

देवेन्द्र कुमार राय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMUNICATIONS
(Department of Telecommunications)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th October, 2025

G.S.R. 742(E).—Whereas, the draft of the Telecommunications (Authorisation for Captive Telecommunication Services) Rules, 2025 was published, as required by section 56(1) of the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023), in the notification of the Government of India in the Ministry of Communications, vide number G.S.R. 614(E), dated the 10th September, 2025, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, the said draft rules were made available to the public on the 12th September, 2025;

And whereas, considering the requests received from the stakeholders for extending the timeline of sending comments on the said draft rules and larger implications of the said rules, the Central Government hereby extends the timeline of sending objections or suggestions on the draft rules upto 21.10.2025.

[F.No. 24-08/2025-UBB]

DEVENDRA KUMAR RAI, Jt. Secy.